an>

Title: Regarding payment of insurance claim to the farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY).

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, राÂष्ट्रीय कृÂिष बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2015 के लिए किसानों की फसलों का बीमा किया गया था, परन्तु पिछले वर्ष 2015 में झारखंड में सूखा पड़ने के कारण झारखंड सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेकर बीमे के प्रीमियम की राशि किसानों को वापस लौटाने का निर्णय लिया था। साथ ही फसल बीमा का क्लेम भी दिये जाने का निर्णय लिया था। सरकार के निर्णय की अनुपालना भारतीय कृÂिष बीमा कंपनी द्वारा की जानी थी। सरकार के निर्णय के आठ-दस माह के बाद भी सभी किसानों को प्रीमियम की राशि वापस नहीं दी गई है। झारखंड के चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले सहित अन्य जिलों के किसानों को फसल बीमा के क्लेम की राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, इसलिए किसानों का फसल बीमा के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषित प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, जो देश में लागू है, वह किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। परंतु पिछले साल की राÂष्ट्रीय कृÂिष बीमा योजना के तहत किसानों का क्लेम नहीं मिलने के कारण किसान इस नई योजना में विश्वास नहीं कर रहे हैं और इसी कारण 31 जुलाई, 2016 तक प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अभी तक 50 प्रतिशत से भी कम पूरा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार बीमा कंपनी को निर्देश प्रदान करे कि राष्ट्रीय कृÂिष बीमा योजना के तहत किसानों के लंबित क्लेम की राशि शीघ्र किसानों को दी जाए। साथ ही प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए एक विशेÂष अभियान चलाकर बीमा किया जाए। साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी देने में लापरवाही बरतने वाले दोÂषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Kunwar Punshpendra Singh Chandel,

Shri Bhairon Prasad Mishra,

Shri Alok Sanjar and

Shri Vishnu Dayal Ram are permitted to associate with the issue raised by Shri Sunil Kumar Singh.